पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय (राकृवि),
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय,बीकानेर

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एवं अन्य सबंद्ध संस्थानों में

द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

आवेदन फार्म (सत्र 2009–10)

आवेदन शुल्क रू. 500/–या 250/– डिमांड ड्राफ्ट नं.. जारी होने की तिथि...........
बैंक का नाम एवं शाखा...

नोट :– आवेदन भरने से पूर्व सभी निर्देशों को आवेदन निर्देशिका में ध्यान पूर्वक पढ़ लेवें। यह फार्म 4 पन्नों का है। दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां एवं डिमांड ड्राफ्ट भरे हुवे आवेदन के साथ लगावें। भरे हुए फार्म स्वीकार करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2009 सांय 5 बजे तक है। तत्पश्चात् आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....

   Applicant's Name (CAPITAL Letters) (अंग्रेजी में)..

2. पिता का नाम (हिन्दी में)...

   Father's Name (CAPITAL Letters) (अंग्रेजी में)..

3. माता का नाम (हिन्दी में)...

   Mother's Name (CAPITAL Letters) (हिन्दी में)..

4. संरक्षक का नाम (अगर पिता जीवित न हो तो).. उससे संबंध..................

5. लिंग............................ 6. जन्म तिथि...

7. 31 दिसम्बर, 2009 को आयु : वर्ष......................माह..............................दिन...........................

8. आवेदक की श्रेणी (सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जन जाति)

   श्रेणी लिखें

9. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का माह एवं वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	
सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा						
सीनियर सैकण्डरी/10+2 या समकक्ष परीक्षा			1. ऐच्छिक विषयों का योग			
			2. अनिवार्य विषयों का योग			
			योग (1+2)			

सीनियर सैकेण्डरी/10+2/या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण किये ऐच्छिक विषयों के नाम नीचे दिए प्रकोष्ठ में लिखें

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

योग्यता प्रमाणपत्र पूरे है – हां/ नहीं

अध्यक्ष, आवेदन जांच समिति के हस्ताक्षर

10. पत्र व्यवहार हेतु केवल पूर्ण पता साफ अक्षरों में लिखें। आवेदक का नाम एवं पिता का नाम दुबारा नही लखें।

हिन्दी में	अंग्रेजी में
पिन कोडः	**Pin Code :**
टेलीफोन एवं एस.टी..डी. कोड नं/मोबाईल नंबर–	

11. अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश लेने हेतु उनके आगे तद्नुसार पसंद (**Preference**) क्रमांक को अंकित करें। (आवेदन फार्म में संस्थान के पसंद क्रमांक अपनी पंसद के अनुसार भरने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पसंद के अनुसार पसंद क्रमांक 1 से 47 अंकित करें। संस्थान की सूची पूर्ण पते सहित आवेदन निर्देशिका में अनुच्छेद 1 में दी हुई है तथा वेब साइट पर भी उपलब्ध है)

संस्थान	पसंद क्रमांक	संस्थान	पसंद क्रमांक
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर		महात्मा ज्योति राव फुले शिक्षण संस्थान एवं, पशुधन सहायक प्रशिक्षण, सोडाला, जयपुर	
चौ. चरणसिंह पशुपालन महाविद्यालय, अलवर		सुरेन्द्र पशुपालन महाविद्यालय, सोडाला, जयपुर	
दीन बंधु शिक्षण संस्थान, खेरलीगंज, अलवर		संकल्प पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संस्थान, झालावाड़ा	
सती जाबदे पशु चिकित्सा सहायक प्रशिक्षण संस्थान, नीमराना, अलवर		आर.ई.डी. पशुपालन महाविद्यालय, चिड़ावा, झुंझनूं	
सर छोटूराम पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर		आदर्श पिलानी पशुपालन महाविद्यालय, पिलानी, झुंझनूं	
श्री संत रामदास त्यागी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, डीग, भरतपुर		राजकीय पशुपालन विद्यालय, जोधपुर	
श्री अभय पशुपालन महाविद्यालय, बीकानेर		पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर	
श्री कृष्ण षुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर		मयूराक्षी शिक्षा और विकास संस्थान, जोधपुर	
मां करणी पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नाल, बीकानेर		श्री एस.एल. जांगू पशुचिकित्सा विज्ञान संस्थान, जोधपुर	
चौधरी पशुपालन महाविद्यालय, सादुलपुर, चूरू		श्री लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	
स्वामी लालतानंद पशुपालन विद्यालय, दौसा		वीणा मेमोरियल पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय, करौली	
चमन पशुपालन महाविद्यालय, बांदीकुई, दौसा		राजीव गांधी पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, हिंडौन सिटी, करौली	
एम.बी. वागड़ पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर		राजकीय पशुपालन विद्यालय, कोटा	
स्वामी शिक्षा समिति पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हनुमानगढ़ टाउन		एम.डी.एम. पशुपालन महाविद्यालय, कोटा	
सरदार बल्ल्भ भाई पटेल पशुपालन महाविद्यालय, भादरा, हनुमानगढ़		पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, बारां, कोटा	
एपेक्स प्रबंध एवं विज्ञान संस्थान (पशुपालन विभाग), जयपुर		सर्वोदय पशुपालन विद्यालय, बूंदी,, कोटा	
बी.बी.एम.एस पशुपालन महाविद्यालय, जयपुर		पशुपालन महाविद्यालय, (मनोहर बाल मंदिर समिति), श्रीगंगानगर	
लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर		श्रीगंगानगर पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान, श्रीगंगानगर	
राजीव गांधी मेमोरियल पशुपालन महाविद्यालय, जयपुर		एलियन्स शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , सीकर	
शिवाम पशुपालन महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर		राजस्थान पशुपालन महाविद्यालय, सीकर	
सुभाष पशुपालन महाविद्यालय, जयपुर		देव पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टौंक	
राजकीय षुपालन विद्यालय, बस्सी चक, जयपुर		राजकीय पशुपालन विद्यालय, उदयपुर	
एम.जे.एफ पशुविज्ञान संस्थान, चौमू, जयपुर		नोटः अपनी पसंद के अनुसार संबंधित संस्थान के आगे 1 से 47 तक पसंद क्रमांक भरें	
श्री विनायक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान , कनोता, जयपुर			
चौधरी चरण सिंह पशुपालन महाविद्यालय, शाहपुरा, जयपुर			

आवेदक का नाम..आवेदक के हस्ताक्षर

12. निम्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि सलंग्न करें। :–

क्रम सं.	सलंग्न दस्तावेज	'हां' या 'नहीं'
1.	सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका	
2.	सैकेण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र	
3.	सीनियर सैकण्डरी / 10+2 या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका	
4.	सीनियर सैकण्डरी / 10+2 या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र	
5.	मूल निवासी प्रमाण पत्र	
6.	उस महाविद्यालय / विद्यालय का चरित्र प्रमाण पत्र जहां अंतिम परीक्षा उर्त्तीण की हो	
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य का प्रमाण पत्र	
8.	अन्य कोई प्रमाण पत्र	

13. मैंने घोषणा पत्र जो इस प्रवेश आवेदन फार्म का हिस्सा है भर कर सलंग्न कर दिया है।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर	
पिता / संरक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर	
दिनांक	

	नीचे प्रकोष्ठ में आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
	हस्ताक्षर
1. अपना हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट साईज फोटो जिसमें आवेदक की नाम पट्टिका पर फोटों खिचवाने की तिथि भी अंकित हो वही फोटो लगावें। 2. फोटो को किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित करावें।	पासपोर्ट साईज फोटो चिपकावें।

<u>महत्वपूर्ण सूचना:</u> 1. किसी भी आवेदन फार्म के अधूरा पाये जाने अथवा / एवम अधूरे दस्तावेज (सत्यापित फोटो कॉपी) सलंग्न करने पर आवेदन फार्म बिना सूचना दिये निरस्त कर दिया जावेगा।

2. पूर्ण भरा हुआ आवेदन फार्म (पेज 1 से 4) को **A**4 साईज के बड़े लिफाफे में डालकर अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, विजय भवन पैलेस, गंगा ऐवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, पो.बॉ.नं.87, बीकानेर– 334001, (राज.) को <u>रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट</u> द्वारा भेजना है। आवेदन फार्म के लिफाफे के ऊपर "द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन" अवश्य लिखें। आवेदन फार्म महाविद्यालय के काउंटर पर भी जमा करवाया जा सकता है। अन्य कोई भी संस्थान अथवा व्यक्ति भरे हुए आवेदन फार्म लेने के लिए अधिकृत नही है।

आवेदक का नाम..आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

1. आवेदक द्वारा घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि

1. मैंनें आवेदन निर्देशिका में लिखित सभी नियमों एवं जानकारियों को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है। अगर पशुपालन डिप्लोमा पाठयक्रम में प्रवेश योग्य नहीं पाया जाती/जाता हूं या प्रवेश से वंचित रहती/रहता हूं तो में किसी प्रकार का वाद/दावा किसी भी न्यायालय में नहीं करूंगी/करूंगा।
2. आवेदन फार्म मैंनें स्वयं भरा है एवं इसमें दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है। मैं यह स्वीकार करती/करता हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई असत्यता पाई जाती हैं तो मैं अपने विरूद्ध किसी भी समय कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य रहूंगी/रहूंगा तथा मेरा प्रवेश पूरे कोर्स के दौरान कभी भी एवं पश्चात भी निरस्त किया जा सकेगा।
3. मैं संस्थान/कॉलेज/हॉस्टल और अन्य प्रकार की सभी फीस समय पर जमा करवाऊंगी/करवाऊंगा। किसी भी निर्धारित फीस को समय पर जमा नहीं करवाती/करवाता हूं तो मेरा प्रवेश रद्ध कर दिया जा सकेगा।
4. अगर मेरा प्रवेश हो जाता है तो मैं कॉलेज/संस्थान प्रशासन द्वारा जारी नियमों एवं शर्तों का पूर्णतया पालन करूंगी/करूंगा।
5. मैं विद्यार्थी होने के नाते विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी भी आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगी/करूंगा, न ही उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करूंगी/करूंगा जिससे कॉलेज का नाम खराब हो।
6. मैं यह जानता हूं कि अगर मेरे द्वारा आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं दिये गये तो मेरा प्रवेश बिना किसी सूचना के रद्ध कर दिया जायेगा।
7. मैं यह भी समझता हूं कि आवेदन फार्म में मेरे द्वारा चयनित संस्थान की पसंद को संकाय अध्यक्ष द्वारा बदला भी जा सकता है, और जो कॉलेज/संस्थान मुझे दी जाएगी मैं उसमें प्रवेश लूंगी/लूंगा, चाहे वह मेरे द्वारा चयनित क्रमबद्धता से भिन्न ही क्यों न हो।
8. मैं यह भी घोषण करती/करता हूं कि :–
   - अ. कि मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हैं, न ही किसी अपराधिक मामले से मेरा सबंध है
   - ब. मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध किसी भी कोर्ट में बकाया नहीं है।
   - स. किसी विद्यालय या महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है।
   - द. द्विवर्षीय पशुपालन पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी अन्य विश्वविद्यालय में कोई अन्य पाठयक्रम में प्रवेश नहीं लूंगी/लूंगा। यदि ऐसा करता पाया जाता हूं तो मेरा प्रवेश इस पाठयक्रम से निरस्त कर दिया जावे।

स्थानः–　　　　　　　　दिनांक　　　　　　　　आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

2. छात्र के पिता/संरक्षक(यदि पिता जीवित न हो तो) द्वारा घोषणा

अभिभावक के रूप में मैंने आवेदन निर्देशिका में लिखित सभी नियमों को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लिया है। मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतया सही है इसमें किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। आवेदन फार्म में दी गई जानकारी में किसी प्रकार की असत्यता प्रवेश के समय या भविष्य में पाई जाती है तो विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान को यह पूर्ण अधिकार है तो वह आवेदक को उसी समय सत्र के मध्य में भी निष्कासित कर सकता है।

मैं यह भी घोषणा करती/करता हूं कि मैं मेरे पुत्र/पुत्री/(नाम...)
की महाविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क व अन्य देय राशि निश्चित समय पर जमा करवाता रहूंगी/रहूंगा।

स्थान :　　　　　　　　आवेदक के पिता/संरक्षक (यदि पिता जीवित न हो तो)
　　　　　　　　　　　　के हस्ताक्षर

दिनांक :

आवेदक का नाम : ....आवेदक के हस्ताक्षर :–

प्रवेश निर्देश पुस्तिका

पशुपालन में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2009–10

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2009–10 में प्रवेश लेने हेतु आवेदन फार्म एवं निर्देश पुस्तिका को वेबसाईट www.bikanervetcolahdp.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फार्म पेज 1–4 तक एवं निर्देश पुस्तिका पेज 5–13 तक की है।
2. पूर्ण भरा हुआ आवेदन फार्म (पेज 1–4) को A4 साईज के बड़े लिफाफे में डालकर अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, विजय भवन पैलेस, गंगा ऐवेन्यु, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, पो.बॉ. नं. 87, बीकानेर (राज.) पिन कोड–334001 को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। आवेदन फार्म के लिफाफे के ऊपर 'द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु आवेदन' अवश्य लिखें। आवेदन फार्म महाविद्यालय के काउंटर पर भी जमा कराया जा सकता है। अन्य कोई संस्थान अथवा व्यक्ति भरे हुए आवेदन फार्म लेने के लिए अधिकृत नहीं है।
3. निर्देश पुस्तिका (पेज 5–13) आवेदन फार्म के साथ <u>सलंग्न नहीं करें</u> आवेदक इसे अपने पास रखें।
4. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2009 को सांय 5 बजे तक है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन फार्म किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. आवेदन फार्म के साथ निम्न आवश्यक रूप से सलंग्न करें :–

   i. आवेदन फार्म के साथ सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक रू. 500/– (पांच सौ रूपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि "अधिष्ठाता, सीवीएएस"(**DEAN,CVAS**) के पक्ष में "बीकानेर"(**Bikaner**) पर देय हो सलंग्न करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक रू. 250/– (दौ सौ पचास रूपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट सलंग्न करें।

   II. भरे हुए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतिलिपियां अवश्य सलंग्न करें।
6. भरे हुए आवेदन फार्म एवं डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटो प्रति आवेदक अपने पास अवश्य रखें।
7. सभी प्रकार की जानकारी जो की वेबसाइट पर उपलब्ध है वही मान्य होगी। वेबसाईट पर दर्शाई गई सूचना अभ्यर्थी के पास पहुंची हुई मानी जाएगी। यद्यपि विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना, समाचार पत्र या व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से आवेदकों तक पहुंच जाए। लेकिन किसी भी पत्र प्राप्ति या सूचना में देरी होने के कारण अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण दिनांक या चरण से वंचित रहने पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार की नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र एवं उपरोक्त वेबसाईट देखते रहे ।

कार्यक्रम की सामान्य जानकारी

1. पशुपालन में डिप्लोमा कार्यक्रम के उद्‌देश्य :–

यह कार्यक्रम डिप्लोमा अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता के द्वारा किसी पंजीकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में लघु पशु चिकित्सा सेवाएं देने के योग्य बनाएगा जिसका प्रावधान भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 30 (बी) तथा उसकी व्याख्या के अनुसार है।

2. पाठ्यक्रम की अवधि :– इस पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (शैक्षणिक वर्ष) की होगी जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे।

3. अध्ययन का माध्यमः–यह पाठयक्रम हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम का होगा। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर (कोड सं. 01) में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन होगा। शेष सभी संस्थानों में हिन्दी भाषा में अध्ययन होगा।

4. सीटों की संख्या :–

(i) प्रत्येक संस्थान में 50 सीटों की व्यवस्था है व वर्तमान में कुल 47 संस्थान प्रवेश हेतु उपलब्ध है। फिर भी विश्वविद्यालय संस्थानों व उपलब्ध सीटों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है,

(ii) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (कोड.01) व सरकारी संस्थानों (कोड 22, 31, 38, 47) के 100 प्रतिशत स्थान व अन्य निजी संस्थानों के 85 प्रतिशत स्थान "राज्य स्थान" होंगे जिनमें प्रवेश वरीयता सूची व आरक्षण नियमों के आधार पर होगा।

(iii) निजी संस्थानों में कुल अनुमोदित सीटों का 15 प्रतिशत (विश्वविद्यालय के द्वारा निर्देशित सीटों की निकटतम पूर्ण संख्या) प्रबंधन सीटें है। जिनमें प्रवेश सबंधित संस्थान के द्वारा उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो सभी निर्देशित शैक्षिक अर्हताएं, योग्यताएं व अन्य आवश्यकताएं पूर्ण करते हों। यद्यपि उन अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

5. प्रवेश हेतु आवश्यक योग्यताएं :–

1. आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान या कृषि संकाय में जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश इसी योग्यता के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर होगा।

2. वे अभ्यर्थी जिन्होने पुरानी पद्धति के द्वारा हायर सैकेण्डरी या नई पद्धति के द्वारा सीनियर सैकेण्डरी उपरोक्त वर्णित विषयों में खुला विद्यालय या बोर्ड जो कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी आवेदन के लिए योग्य होंगे।

3. किसी भी योग्यता की समकक्षता का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। जो कि बाध्य एवं अंतिम होगा। प्रवेश के पश्चात किसी भी समय एवं चालू सत्र की अवधि में भी यह पता चलने पर कि वे निर्धारित योग्यता धारित नहीं करते हैं उन अभ्यर्थियों को जो शैक्षिक, उम्र, मूल निवास आदि न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं करते हो उन्हें कोर्स से निकाल दिया जाएगा व उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

4. राज्य सीटों के लिए अभ्यर्थियों को जो कि राजस्थान के मूल निवासी (मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा) हो व न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं रखते हों को वरीयता सूची व आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

5. वरीयता सूची निर्धारण के समय जिन अभ्यर्थियों ने पूरक परीक्षा से आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल की हो तो पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों के न्यूनतम उत्तीर्णांक ही जोड़े जाएंगे।

6. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 31 दिसम्बर 2009 को 17 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है।

7. अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों व सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

8. प्रवेश बंद होने के पश्चात व चालू सत्र में अभ्यर्थियों को संस्थान परिवर्तन की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी चाहे किसी संस्थान में स्थान रिक्त ही क्यों नहीं हो।

6. आरक्षणः– विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा जारी व राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा लागू आरक्षण नीति के तहत की जाएगी।

1. 16 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति (एस.सी.) की प्राकृतिक संतान (गोद लिए हुए नहीं) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। उपरोक्त वर्णित अनुसूचित जाति की सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।
2. 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) की प्राकृतिक संतान (गोद लिए हुए नहीं) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। इनमें से 45 प्रतिशत सीटें उन अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हो। उपरोक्त वर्णित अनुसूचित जनजाति की सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

3. 21 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की प्राकृतिक संतान (गोद लिए हुए नहीं) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। उपरोक्त वर्णित अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।
4. एस.सी., एस.टी व ओबीसी श्रेणियों की आरक्षित सीटें घटाने के बाद राज्य सीटों की बची हुई सीटों को अनारक्षित सीट (सामान्य वर्ग) माना जाएगा। अनारक्षित सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी।

सूचना :– अनुसूचित जाति की खाली रही सीटें अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से व अनुसूचित जनजाति की खाली रही सीट अनुसूचित जाति के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है। अगर आरक्षित श्रेणियों में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो यह सीटें अनारक्षित श्रेणी में स्थानान्तरित कर दी जाएगी व अनारक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भर दी जाएगी।

7. समान प्राप्तांक (टाई) की स्थिति में वरीयता निर्धारण के नियम (टाई ब्रेक):– यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के योग्यता परीक्षा में समान अंक होते है तो निम्न आधार पर वरीयता निर्धारित (टाई ब्रेक) की जाएगी।

1. उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में ज्यादा प्राप्तांक अर्जित किए हो।
2. यदि माध्यमिक परीक्षा में भी बराबर अंक है तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

8. शुल्क संरचना :–

1. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रकार के निर्धारित शुल्क नियमित रूप से संस्थान में जमा/अदा करना होगा।
2. अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि केवल व्यवसायिक फीस (प्रोफेशनल फीस) सभी संस्थानों के लिए समान है। दूसरे शुल्क संस्थान से संस्थान भिन्न हो सकते है। यह सबंधित संस्थान के निर्णय पर आधारित होगा। इसके लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
3. पाठ्यक्रम का व्यवसायिक शुल्क 28500/– रू. (रू. अठाईस हजार पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष है जो कि 3 किस्तों में देय होगा। जो निम्न प्रकार से है :–
   अ. प्रथम किस्त 9500/– रू. जो कि प्रवेश के समय देय होगी।
   ब. द्वितीय किस्त 9500/– रू. जो द्वितीय सेमेस्टर के पंजीकरण के समय देय होगी।
   स. तृतीय किस्त 9500/– रू. वार्षिक परीक्षा आवेदन फार्म के जमा करवाते समय देय होगी।
4. बस्सी चक, जोधुपर, कोटा एवं उदयपुर स्थित पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार के संस्थानों (संस्थान कोड संख्या 22, 31, 38, 47) में व्यवसायिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यद्यपि इन संस्थानों को यह विनिश्चय करने का अधिकार होगा कि किसी भी समय नियमानुसार शुल्क ले सके।
5. जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में होता है उन्हें लगभग 3000/– रू. प्रतिवर्ष अतिरिक्त नियमित शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। जैसा की राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का निर्देश है यह उपरोक्त निर्धारित व्यवसायिक शुल्क के अतिरिक्त होगा।
6. सबंधित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अथ्यर्थियों को छात्रावास एवं मैस शुल्क उपरोक्त वर्णित व्यवसायिक शुल्क के अतिरिक्त जमा कराना होगा।
7. नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि जो कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को देय है अतिरिक्त होगा।
8. शुल्क जमा कराने में विफल रहने पर छात्र का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
9. धरोहर राशि (कौशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापिस देय नहीं होगा। केवल विश्वविद्यालय द्वारा रिशफलिंग में अभ्यर्थी के संस्थान परिवर्तन होने पर (प्रवेश प्रक्रिया बंद होने से पूर्व) सबंधित संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को सम्पूर्ण शुल्क व अन्य शुल्क वापिस देय होंगे।
10. अभ्यर्थी के वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीण होने पर पर उस वर्ष का व्यवसायिक शुल्क पुनः जमा करवाना पड़ेगा जिस वर्ष में वह पुनः प्रवेश लेता है। यह अन्य नियमित शुल्कों के अतिरिक्त होगा।

9. अस्थायी प्रवेशः— अगर प्रवेश से सबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन होगा तो न्यायालय के अंतिम निर्णय तक प्रवेश अस्थायी रहेगा। प्रवेश की अस्थाई स्थिति को विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन के पश्चात ही हटाया जायेगा। अगर किसी भी कारण से अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है तो सत्र के बीच में कभी भी प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

10. नियमों में परिवर्तनः— विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी नियम या शुल्क संरचना में किसी भी समय कोई परिवर्तन या सुधार कर सके। अभ्यर्थी व छात्र इस प्रकार के परिवर्तन को मानने को बाध्य होंगे।

11. रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित हैः—

1. किसी भी प्रकार की रैगिंग सभी विश्वविद्यालय से सबंधित संस्थानों में पूर्णतया प्रतिबंधित है व इस प्रकार के कृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दंडित किया जायेगा।
2. रैगिंग से सबंधित सभी मामलों का निपटारा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर एवं यू. जी.सी. के नियमों व समय—समय पर मिलने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। रैगिंग सबंधि सभी मामलों को सख्ती से निपटा जाएगा। अभ्यार्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि रैगिंग एक गंभीर अपराध है व यह कृत्य करने पर पुलिस कार्यवाही कर एफ.आई. आर. दर्ज की जावेगी।
3. सभी सबंधित संस्थान यह सुनिश्चित कर लेवें की रैगिंग को रोकने हेतु कोई कार्यवाही न करने पर उनकी सबंद्धत विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दी जावेगी व उन संस्थानों तथा उनके संचालकों के खिलाफ कानून सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

न्यायालय क्षेत्र पशुपालन डिप्लोमा से सबंधित किसी भी प्रकार के वाद होने पर उसका वाद क्षेत्र राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के दायरे में होगा।

महत्वपूर्ण सूचनाः किसी भी आवेदन फार्म के अधूरा पाये जाने अथवा/एवम अधूरे दस्तावेज (सत्यापित फोटो कॉपी) सलंग्न करने पर आवेदन फार्म बिना सूचना दिये निरस्त कर दिया जावेगा।

आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन फार्म की उपलब्धता :–

1. यह आवेदन फार्म राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पशुपालन में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु है (पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर व पशुपालन विभाग राजस्थान के संस्थान जो कि जयपुर के बस्सी चक, जोधपुर, कोटा और उदयपुर की सौ प्रतिशत सीटों व अन्य सबंद्ध निजी संस्थानों की 85 प्रतिशत सीटों के लिए है)

2. आवेदन फार्म व निर्देश पुस्तिका वेबसाईट **www.bikanervetcolahdp.org** पर उपलब्ध है तथा पुस्तकालय फोटो स्टेट काउंटर, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर पर 50 पैसे प्रति पृष्ठ फोटो कॉपी शुल्क अदा करने पर उपलब्ध है।

3. निर्देश पुस्तिका में सबंद्ध संस्थानों की सूची, संस्थान कोड व पते सलंग्नक 1 में उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन फार्म के बिन्दु 11 में सभी संस्थानों की 1 से लेकर 47 तक अपनी पसंदीदा वरीयता भर सकते हैं।

4. कोई भी व्यक्ति या संस्था उपरोक्त आवेदन फार्म व निर्देश पुस्तिका को बेचने या वितरित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे कृत्य गैर कानूनी है। यदि अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था आवेदन फार्म बेचती पाई जाती है तो, अधिष्ठाता व पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय,राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सूचित करें।

2. आवेदन फार्म भरने हेतु निर्देश :–

1. आवेदन फार्म के जिन भागों को अंग्रेजी में भरना निर्देशित है उन्हें अंग्रेजी में भरना अनिवार्य है। इन भागों को हिन्दी में भरने की स्थिति में सूचनाएं कम्पयूटरीकृत करने में अंग्रेजी वर्तनी अशुद्धि हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।
2. आवेदन फार्म भरते समय काले या नीले रंग का बाल पेन प्रयोग करें।
3. अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते समय निर्देशित स्थान में केवल केपिटल लेटर्स का प्रयोग करें।
4. अभ्यर्थी आवेदन फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित बाक्स में अपना नाम व हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अंकित करें।
5. अभ्यर्थी आवेदन फार्म एवं निर्देश पुस्तिका पर अंकित निर्देशानुसार ही आवेदन फार्म भरें। निर्देशानुसार नहीं भरने या अधूरे फार्म निरस्त किये जा सकेंगे।

3. आवेदन फार्म के साथ निम्न सलंग्न करें :–

1. आवेदन फार्म के साथ सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक 500/–(पांच सौ रूपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि "अधिष्ठाता, सीवीएएस" (**DEAN,CVAS**)के पक्ष में "बीकानेर"(**Bikaner**) में देय हो सलंग्न करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक 250/–(दौ सौ पचास रूपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट सलंग्न करें।
2. भरे हुए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतिलिपियां अवश्य सलंग्न करें।
3. भरे हुए आवेदन फार्म व डिमांड ड्राफ्ट की फोटो प्रतियां अभ्यर्थी अपने पास अवश्य रखें।

संस्थान आवंटन प्रक्रिया

1. अभ्यर्थियों के समय व अनावश्यक व्यय व असुविधा से बचने के लिए संस्थान प्रवेश/आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श की व्यवस्था नहीं है।
2. संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फार्म में दी गई संस्थान पसंद क्रमांक एवं मेरिट के आधार पर व कम्प्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।
3. आवेदन जमा करवाते समय अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लेवें की उनके द्वारा भरी गई संस्थान पसंद वरीयता क्रमांक (पेज 2 कॉलम 11) में आवेदन फार्म जमा करवाने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को ऐसे संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जहां के लिए उसने वरीयता नही भरी है। चाहे वहां पर स्थान रिक्त रह जाए।
5. योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।
6. अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थानों की सूची व प्रवेश की अंतिम दिनांक आवंटन प्रक्रिया के पूरे होने के पश्चात वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।
7. संस्थान आवंटन व रिर्पोटिंग की अंतिम दिनांक की सूचना अभ्यर्थियों को डाक द्वारा भी दी जाएगी। यद्यपि डाक में विलम्ब होने या ना मिलने पर विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसलिए अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।
8. अभ्यर्थी रिर्पोटिंग की अंतिम दिनांक तक मूल प्रमाण पत्रों व शुल्क के साथ संस्थान में प्रवेश ले लेवें। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि वह संस्थान में प्रवेश का इच्छुक नहीं है व उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
9. प्रथम चरण की संस्थान आवंटन प्रक्रिया के उपरांत द्वितीय चरण के द्वारा रिक्त सीटों हेतु संस्थानों का आवंटन किया जाएगा। जिनमें (अ) संस्थानों की रिक्त रही हुई सीटों को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। (ब) वह अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चरण में शुल्क जमा कर दिया हो उन्हें द्वितीय चरण में उनकी उच्च पसंद संस्थान हेतु मेरिट के आधार पर संसथान आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चरण में आवंटित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है उन पर द्वितीय चरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
10. अभ्यर्थी द्वितीय एवं उसके आगे के चरणों में आवंटित संस्थानों में प्रवेश को बाध्य होंगे। जिनमें प्रवेश अभ्यर्थी की संस्थान पसंद वरीयता व मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा। नये आवंटित संस्थान पर ज्वाईन न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश यह मानकर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा की वह संस्थान में प्रवेश का इच्छुक नहीं है।
11. द्वितीय चरण में उच्च पसंद संस्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का प्रथम चरण में आवंटित संस्थान प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जाएगा और उनके पूर्व में आवंटित स्थान पर वरीयता क्रम में अगले विद्यार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा।
12. आवंटन प्रक्रिया के द्वितीय एवं आगे के चरणों में अगर अभ्यर्थी को उसकी संस्थान पसंद वरीयता के अनुसार अगर उच्च वरीयता का संस्थान मिलता है तो उनका संस्थान परिवर्तन कर दिया जाऐगा।
13. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान परिवर्तन के समय अभ्यर्थी को पूर्व में आवंटित संस्थान के द्वारा शुल्क वापिस कर दिया जाएगा।
14. प्रवेश प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत छात्रों को संस्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी चाहे किसी संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा इच्छित उच्च वरीयता का स्थान रिक्त हो।

संस्थान में रिर्पोट करने हेतु निर्देश

1. पशुपालन में डिप्लोमा कार्यक्रम में वरीयता व आरक्षण के आधार पर प्रवेश व संस्थान आवंटन की सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत पत्र/वेबसाइट द्वारा दी जाएगी। अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से मूल प्रमाण पत्रों व शुल्क के साथ आवंटित संस्थान को अंतिम दिनांक से पहले रिर्पोट करें। मूल प्रमाण पत्रों की सूची :–
   a. माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका
   b. माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र
   c. उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक मालिका
   d. उच्च माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र
   e. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
   f. अंतिम विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र

g. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
h. प्रवजन प्रमाण पत्र
i. मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वार जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
j. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यथी (एस.सी/एसटी/ओबीसी) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साथ लेकर आए।
k. उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्रों के दो सेट सत्यापित प्रतिलिपियां लेकर आए।
l. हाल ही में खिंचवाए गए पासपोर्ट साईज के 4 फोटो जिसमें अभ्यर्थी का नाम और फोटो खिचवाने की तारीख अंकित हो।
m. नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए)
n. अन्य कोई (संस्थान के द्वारा वर्णित)
o. अगर अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र किसी अन्य महाविद्यालय में जमा है तो वह सबंधित महाविद्यालय के प्रधान/प्रिंसिपल आदि के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।

2. अगर किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में अंतिम दिनाक से पूर्व नहीं पहुंच सकता है तो वह अपनी जगह कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। जिसके साथ में प्रतिनिधि अधिकार पत्र फोटो के साथ (अभ्यर्थी व प्रतिनिधि दोनों के फोटो) भेजना होगा जिस पर अभ्यर्थी व प्रतिनिधि की फोटो लगे होंगे। फोटो अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित व राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा। मूल प्रमाण पत्र व उपरोक्त प्रमाण जमा करवाने पर शुल्क जमा करवाया जा सकता है। प्रतिनिधि अधिकार पत्र का प्रारूप अनुच्छेद 2 में सलंग्न है।
3. जो अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया के द्वितीय चरण में भाग लेना चाहते है व प्रथम चरण के आवंटित संस्थान के प्रिंसिपल को इस संदर्भ में तुरन्त प्रार्थना पत्र दें। प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि के बाद इस विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अगर प्रवेश से सबंधित कोई वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है तो प्रवेश को उस समय तक अस्थाई माना जाएगा जब तक कि माननीय न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आता।
5. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी नियम, कानून या शुल्क में किसी भी प्रकार परिवर्तन कर सकता है।
6. प्रवेश से सबंधित सभी नियमों जो कि किसी माननीय न्यायालय द्वारा प्रवेश के समय या पूर्व पारित हो अभ्यर्थी को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
7. राज्य सीटों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा चाहे कोई स्थान रिक्त रह जाए।
8. अगर कोई अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पूर्व रिर्पोट नहीं करता है तो उसे प्रवेश का अनइच्छुक मानकर उसका प्रवेश स्वतः रद्ध हो जाएगा। आवंटन की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने की विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। वेबसाईट पर एक बार जारी सूचना अभ्यर्थी तक पहुंची हुई मानी जाएगी।
9. अंतिम दिनांक से पूर्व रिर्पोट न करने वाले अभ्यर्थियों पर अगले चरण की आवंटन प्रक्रिया में कोई विचार नहीं किया जाएगा व उनका नाम वरीयता सूची से काट दिया जाएगा। यह मानते हुए कि उपरोक्त अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक नहीं है व शेष सीटों को वरीयता सूची के आगे के अभ्यर्थियों के द्वारा आरक्षण के नियमों को पालन करते हुए भरा जाएगा।
10. यदि अभ्यर्थी द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा में प्रवेश लेने से पहले किसी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है तो उसे छोड़ देवें। अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। यदि कोई छात्र (यह पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात भी) डिप्लोमा में अध्ययन के कार्यकाल में यदि कोई अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करता पाया गया तो उसका डिप्लोमा से प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि डिप्लोमा में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात भी यदि पाया जाता है कि छात्र ने डिप्लामा के अध्ययन के साथ अन्य पाठ्यक्रम में भी अध्ययन किया है तो पूर्व में प्रदत्त डिप्लोमा निरस्त कर दिया जायेगा व दूसरे अध्ययनरत पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले विश्वविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रम से निष्कासन हेतु निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

अनुच्छेद–1

द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं की सूची एवं पते

जिला	संस्थान का नाम एवं पूर्ण पता
बीकानेर	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, विजय भवन पैलेस, दीन दयाल उपाध्याय चौराहे के पास, बीकानेर –334001
अलवर	चौधरी चरण सिंह पशुपालन महाविद्यालय, ढाई पेडी, जयपुर रोड, रितूम्बरा होटल के पास, अलवर
अलवर	दीन बन्धु शिक्षण संस्थान, बाई पास रोड़, खेरलीगंज, अलवर – 321606
अलवर, नीमराना	सती जाबदे वेटेरनरी कम्पाउड़र प्रशिक्षण संस्थान, गॉव जनक सिंह पुरा, पोस्ट – नीमराना, अलवर
भरतपुर	श्री छोटू राम एल. एस. ए. प्रशिक्षण संस्थान, 1, शांतिनगर, फतेहपुर सिकरी रोड़, भरतपुर – 321001
भरतपुर डीग	श्री संत राम दास त्यागी एल. एस. ए. प्रशिक्षण संस्थान, बुधा गेट, डीग, भरतपुर –321203
बीकानेर	श्री अभय पशुपालन महाविद्यालय, 93, गॉधी नगर, नरेन्द्र भवन पैलेस के पास, बीकानेर – 334001
बीकानेर	श्रीकृष्ण एल. एस. ए. प्रशिक्षण महाविद्यालय, आई. टी. आई. कॉलेज के पीछे, पटेल नगर,बीकानेर – 334001
बीकानेर	मॉ करणी पशुधन सहायक प्रषिक्षण महाविद्यालय, पोस्ट – नाल, बीकानेर
चुरु सादुलपुर	चौधरी पशुपालन महाविद्यालय, सुभाष नगर, भारतीय कॉलोनी,रेल्वे टॉवर के पास,सादुलपुर, जिला–चुरु,पिन 331023
दौसा	स्वामी ललतानन्द पशु पालन विद्यालय, खारी कोठी मोहल्ला, दौसा –303303
दौसा बन्दीकुई	चमन पशुपालन महाविद्यालय, भगत भवन, बदीयाल रोड़, बान्दीकुई, जिला – दौसा
डुंगरपुर	एम. बी. वागड़ पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बादल महल रोड़, शास्त्री कॉलोनी, डुंगरपुर 314001
हनुमानगढ़	स्वामी शिक्षा समिती पशुधन सहायक प्रशिक्षण, महाविद्यालय, विश्नोई धर्मशाला के सामने, राजकीय अस्पताल के पास, हनुमानगढ़ टाउन– 335513
हनुमानगढ़ भादरा	सरदार बल्लभभाई पटेल पशुपालन महाविद्यालय, नोहर –सिरसा बाई पास रोड़, पोस्ट – भादरा, जिला हनुमानगढ़ पिन : 335501,
जयपुर	ऐपेक्स प्रबन्धन एवं विज्ञान संस्थान (पशुपालन विभाग),संजय शिक्षा समिति केम्पस, लाल कोठी स्कीम, टोंक रोड़, जयपुर –302015
जयपुर	बी. बी. एम. एस. पशुपालन महाविद्यालय, ए –10, नई रामगढ़ रोड़, जयपुर
जयपुर	लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, 115, टैगोर पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
जयपुर	राजीव गॉधी मेमोरीयल पशुपालन महाविद्यालय, 254, राजाजी भवन, किर्ती पब्लिक विद्यालय केम्पस, चम्पा नगर, गुजर की थड़ी, नई सांगानेर रोड़, जयपुर
जयपुर	शिवाम् पशुपालन महाविद्यालय, पोस्ट : जोबनेर, जिला – जयपुर
जयपुर	सुभाष पशुपालन महाविद्यालय,55, महा लक्ष्मी नगर, गजसिंहपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर –303011
जयपुर,बस्सीचक	राजकीय पशुपालन विद्यालय,बस्सी चक, जयपुर
जयपुर चोमू	एम. जे. एफ. वेटेरीनरी विज्ञान संस्थान, रिंगस रोड़, चोमू, जयपुर
जयपुर कानोता	श्री विनायक रिसर्च एवं प्रशिक्षण संस्थान,जी–1 / 231, औद्योगिक क्षेत्र, हिरावाला, कानोता, जयपुर – 303012
जयपुर शाहपुरा	चौधरी चरण सिंह पशुपालन महाविद्यालय,नेशनल हाईवे 8, टांडा मिलन होटल के सामने, शाहपुरा, जिला जयपुर
जयपुर सोड़ाला	महात्मा ज्योति राव फूले शिक्षण संस्थान, पशुधन सहायक प्रशिक्षण, राम नगर विस्तार, सोडाला, नई संगानेर रोड़, जयपुर
जयपुर सोड़ाला	सुरेन्द्र पशुपालन महाविद्यालय, 25, गोवरधन कॉलोनी, नया संगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर –3092019
झालावाड़	संकल्प वेटेनरी एवं पशुपालन संस्थान, सुधाकर विला, हरीश चन्द्र सिविल लाइनस, झालावाड़ – 326001
झुंझुनु चिड़ावा	रूरल एज्यूकेशन डवलपमेंट पशुपालन महाविद्यालय, भूतनाथ रोड़, लोहिया स्कूल केम्पस, चिडावा जिला –झुंझुनु
झुंझुनु पिलानी	आदर्श पिलानी पशुपालन महाविद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ रोड़ पिलानी – 333031 जिला झुंझुनु
जोधपुर	राजकीय पशुपालन विद्यालय,पशुधन भवन, रातानाड़ा, जोधपुर
जोधपुर	पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 7 – शान्ती प्रिय नगर, राज हॉस्पिटल के पास, जोधपुर –342008
जोधपुर	मयूराक्षी षिक्षण एवं विकास संस्थान, 107 कमला नेहरू नगर, मेन चोपासनी रोड, जोधपुर
जोधपुर	श्री एस. एल. जांगू वेटेनरी विज्ञान संस्थान,11/ 939, 11/890, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
जोधपुर	श्री लालबहादूर शास्त्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्स्टीयूट, रोड नम्बर 6, शक्ति नगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर
करौली	वीना मेमोरीयल पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय,कैला देवी रोड़, पडेवा, करौली – 322241
करौली,हिण्डौन सिटी	राजीव गांधी पशुपालन डिप्लोमा महाविद्यालय,बनकी रोड़, बयाना सडक के पास, हिण्डौन सिटी, करौली
कोटा	राजकीय पशु पालन विद्यालय, राम तलाई मैदान, मोखापारा, कोटा –324006
कोटा	एम. डी. एम. पशु पालन महाविद्यालय, एमडी मिशन केम्पस, केषवपुरा चौराहा, कोटा
कोटा बारान	पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, मांगरोल रोड़, बारां (कोटा)
कोटा बुन्दी	सर्वोदय पशु पालन विद्यालय, कैनाल रोड़, माटुन्दा, बुन्दी, कोटा
श्री गंगानगर	पशु पालन महाविद्यालय, (मनोहर बाल मंदिर समिति), बेगाराम मार्ग, गली नम्बर 04, सेतीया कॉलोनी, श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर	श्री गंगानगर पशु विज्ञान संस्थान, टांटीया उच्च शिक्षा संस्थान केम्पस, रिको बस स्टेण्ड के पास, हनुमानगढ़ रोड़, श्री गंगानगर 335002
सीकर	ऐलांयस शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, विश्वकर्मा महाराणा प्रताप होटल के पास, पिपराली रोड़, सीकर
सीकर	राजस्थान पशु पालन महाविद्यालय, किसान कॉलोनी, नवलगढ रोड़, सीकर –332001
टोंक	देव पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मोदी की चौकी, सिविल लाईन, टोंक –304001
उदयपुर	राजकीय पशु पालन विद्यालय, पॉलीक्लिनिक कैम्पस, वेटेरीनरी हॉस्पिटल, चेतक चौराह, उदयपुर

प्रतिनिधि अधिकार पत्र (प्रारूप)

(यह अधिकार पत्र प्रवेश के समय जो अभ्यर्थी किसी कारणवश डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा)

मैं..पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/स्व.................................... ....यह अधिकार श्री/श्रीमती/डॉ./ .... (प्रतिनिधि नाम) पता.. को देता हूं कि जो संस्थान मुझे पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवंटित किया गया है कि वंहा मेरी जगह ....(दिनांक) को उपस्थित होंगे। वह मेरी जगह सभी आवश्यक दस्तावेज व शुल्क जमा करवाएंगे।

श्री/श्रीमती/डॉ.. (प्रतिनिधि नाम) के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित है।

अभ्यर्थी का फोटो जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। यहां वही फोटो चस्पा करे जो आवेदन फार्म पर चस्पा किया गया है।	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्रतिनिधि के हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित	उस प्रतिनिधि का फोटो जो अभ्यर्थी की जगह उपस्थित होगा। यह फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..उम्र............... वर्ष....................महीने................ यह अधिकार देता हूं कि प्रस्तुत होने वाला प्रतिनिधि मेरी जगह सभी निर्णय लेगा, श्री/श्रीमती/ ....(प्रतिनिधि नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...................... ....उम्र..........................वर्ष है जो कि पशुपालन पाठ्यक्रम के संस्थान आवंटन में प्रवेश सबंधित सभी औपचारिकता मेरी जगह पूरी करेंगे और यह जो भी कार्य करेंगे मैं उसके लिए कटिबद्ध रहूंगा तथा भविष्य में किसी प्रकार का कोई दावा उक्त प्रक्रिया पर नहीं करूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम :–

दिनांक : पता :–